

[Shri George Fernandes]

tended twice by one month from February 1978 to March 1979 and March 1978 to April 1979. I had explained to them the full background how the matter had initially been raised and the subsequent setting up of the Commission, and also the alternatives open to Government which have been mentioned above.

In the light of these discussion and after considering the relevant issues Government have decided to follow the course of action mentioned at (iii) above. Accordingly Government have accepted the resignation of Justice Shri A. K. Sarkar and have issued a notification winding up the Commission from today. Government propose to take over all the records of the Commission including the investigation reports so far completed by it and to forward these to the concerned Ministries/Departments to take further action according to law taking into account the preliminary conclusions/findings arrived at by the Commission in its enquiries.

In conclusion I would like to re-iterate that Government's policy towards Large Houses has been fully explained in its Statement on Industrial Policy which was laid before Parliament on 23rd December 1977. In its licensing policy, Government will regulate the activities of the Large Houses to bring them in line with the country's socio-economic goals. It will be the policy of Government to ensure that no unit or business group acquires dominant or monopolistic position in the market. The present industrial activities of the Large Houses will also be scrutinised so that unfair practices arising out of manufacturing inter-linkages are also avoided. In order to ensure social accountability, the financial institutions whose support is vital for setting up and running of large scale enterprise, will be expected to assume a more active role in overseeing the activities of units financed by them in order to ensure that management

is increasing professionalised and conforms to national priorities.

I am sure that Government can count on the support from all sections of the House in the implementation of this policy.

12.14 Hours

MATTERS UNDER RULE 377

(1) SPREADING OF DESERT AREA IN RAJASTHAN

श्री हरी रत्न अकालीन चौधरी (बीकानेर) :
 केन्द्रीय शूक क्षेत्र गवेषणा संस्था जोधपुर के वैज्ञानिकों के मतानुसार राजस्थान में रेगिस्तानी निरन्तर बढ़ता जा रहा है। इन रेगिस्तानी क्षेत्रों में रेत की मात्रा बढ़ रही है और हाल के कुछ वर्षों में यह भयावह रूप धारण कर गया है। यह स्थिति क्षितीषी भयंकर हो गई है इसका अनुमान हम जान में लगाया जा सकता है कि बाइबेल नगर के उत्तर पूर्व में एक पहाड़ी बाबाईस वर्ष पहले रेत से पूर्ण नुकन थी किन्तु अब वह स्थान रेत में डब गया है। बाइबेल, जाम्ना और जोधपुर जिलों में पहाड़ियों की छाड़ में भारी मात्रा में रेत एकत्र हो रही है। जोधपुर शेरवड मार्ग पर भी रेत का जमाव बढ़ता जा रहा है और अनेक स्थानों पर रेत की टीले बन गई हैं। जोधपुर नगर के चारों ओर रेत की ढेरियाँ प्रकट होने लगी हैं और प्रति दिन उनका आकार बढ़ रहा है। जोधपुर जैसलमेर राजमार्ग पर रेत की गहनाइ इतनी विकराल हो गई है और इस मार्ग को रेत में डनना डक लिया है कि इसकी दिशा बदलना आवश्यक हो गया है। जसलमेर से मोम को जाने वाला मार्ग कुछ ही वर्षों में रेतिले टीलों में बिलीन हो जाएगा। पीकरण, शेरवड और डोमियाल में प्रतिदिन रेत के टीलों का जमावट हो रही है। बाइबेल में निवर्तमान स्थान और बीकानेर जिलों में उजरगड और मोखा रेत के महासागर में भीषण ही जमावट हो जायेगी। फरीदपुर, भीलवाड़ा, हिसार, बीकानेर, अजमेर, झुझु, भीकर और मंगोर जिलों में भी रेत की मात्रा बढ़ रही है। इन क्षेत्रों में विच्छले कुछ वर्षों में रेत का घेरा तेज गति में बढ़ रहा है। हमारे देश में रेत के गणना होने की गंभीरता और विस्तृत अध्ययन में इसका किंवा किसी विभीषिका से कम नहीं है। यदि मंत्र पर इसे रोकने के लिए कदम नहीं उठाए गए तो इसके गम्भीर परिणाम होने जिन की कल्पना से हृदय कांप उठता है। मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ कि इस महत्त्वपूर्ण समस्या को प्रति सरकार का ध्यान आकृष्ट कर और इस सम्बन्ध में सरकार का कार्यवाही कर रही है उससे सदन की बचत कायदा जाए।